

(5)

कार्यालय :— प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।

पत्रांक:— 275

दिनांक:— 03/05/13

०५ सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची ।

विषय :— सी०सी०एल० की रजरप्पा खुली खदान परियोजना के 277.15 हेक्टर वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव ।

प्रसंग :— क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक 441 दिनांक 17.04.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न है। सी०सी०एल० की रजरप्पा खुली खदान हेतु कुल 277.15 हेक्टर (अधिसूचित वन भूमि 98.69 हेक्टर एवं जंगल—झाड़ी वन भूमि 178.46 हेक्टर अन्तर्निहित है।) वन भूमि का प्रस्ताव पांच प्रतियाँ प्रासंगिक पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। विषयगत प्रस्ताव के संदर्भ में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के प्रतिवेदनानुसार निम्नलिखित तथ्य प्रतिवेदित है।

1. मूल आवेदन Form 'A' Part – I में परियोजना से संबंधित सभी विवरणी अंकित किए गए हैं।
2. Part – II में वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल का प्रतिवेदन/मंतव्य अंकित है साथ ही स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भी संलग्न है।
3. Part – II में वन संरक्षक, बोकारो अंचल की अनुशंसा अंकित है।
4. प्रस्ताव के साथ 1:50,000 के टोपोशीट पर परियोजना का स्थान दर्शाया गया है।
5. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का विवरणी संलग्न है।
6. प्रस्तावित परियोजना का index map प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
7. एन०पी०भी० (NPV) एवं क्षतिपूरक वनरोपण तथा सेफ्टीजोन वृक्षारोपण का व्यय भुगतान करने की वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
8. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल की योजना एवं मानचित्र संलग्न है।
9. प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।
10. परियोजना का मार्झिनिंग प्लान संलग्न है।
11. Rehabilitation action plan एवं Reclamation Plan संलग्न है।

12. लागत लाभ विश्लेषण विहित प्रपत्र में संलग्न है।

13. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग की अनुशंसा पार्ट- III में अंकित है।

14. वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुरूप अपायुक्त, बोकारो द्वारा निर्गत 178.46 हैं जंगल-झाड़ी वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

अपयोजन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का डीजिटल नक्शा शेप फाइल में Geo-reference कराया हुआ, समर्पित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को अनुरोध किया गया है जो प्राप्त होने पर अलग से भेजा जाएगा।

अतः प्रस्ताव की चार (4) प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि सैद्धांतिक सहमति हेतु अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु० यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची।

झापांक-

दिनांक-

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को उनके प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची।

झापांक- ९८५

दिनांक- ०३।५।।३

प्रतिलिपि:- मुख्य महाप्रबंधक, (पर्यावरण एवं वन) सी सी एल, दरभंगा हाउस, रॉची को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि प्रस्तावित अपयोजन क्षेत्र का डीजिटल नक्शा shape file में geo reference कराकर समर्पित करें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची।

०८६

०८६